न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 51/2018 **दायरा दिनांक : 03.04.2018**

उनवान

दाणी सिंह नाबालिग दत्तक पुत्र परबत सिंह जरिये वली प्राकृतिक पिता गब सिंह पुत्र सुजान सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुनारी, तहसील गंगधार, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती मांगू बाई पुत्री परबत सिंह पत्नी राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी खसरू खेड़ी, तहसील गंगधार, जिला बारां

2– श्रीमती भग्गू बाई पुत्री परबत सिंह पत्नी राधू सिंह, जाति राजपूत, निवासी मत कोटा तहसील बडोद मध्यप्रदेश

3– श्रीमती मान कुंवर पुत्री हरि सिंह पत्नी कान सिंह, जाति रापूत निवासी मेरूखेड़ी तहसील गंगधार, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 270/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 12.02.2018 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का वाद बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन अर्न्तगत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री करने व विभाजन करते हुए प्रतिवादी नम्बर 2 अपीलांट का नाम कम करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी को बिना साक्ष्य का अवसर दिये, रेस्पोडेंट के पक्ष में अपना निर्णय कर दिया जबकि रेस्पोडेंट का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादी अपीलांट विवादित आराजी को पुश्तैनी आराजी साबित कर दिया है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से न्याय, कानून एवं तथ्यों, नियमों के विपरीत अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मूल खातेदारी के देहावसान के पश्चात् फोती इंतकाल भी अपीलांट को मृतक का गोद पुत्र प्रमाणित मान कर खोला गया था जिसमें रेस्पोडेंट की पूर्ण सहमति थी उस निर्णय की कोई अपील नहीं की गई वर्तमान में अपीलांट ही विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार है । रेस्पोडेंट का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलांट ही मृतक खातेदार का गोद पुत्र है तथा इंतकाल सही रूप से खोला गया जो आज तक निरस्त नहीं किया गया है किन्तु इसके बावजूद भी मृतक खातेदार की भूमि में वादीगण रेस्पोडेंट का हक मानते हुए विभाजन करने एवं प्रतिवादी अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर उसके मालिकाना अधिकारों पर कृठाराघात करते हुए व पुश्तैनी भूमि से वंचित करते हुए निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट

मृतक खातेदार परबत सिंह का दत्तक पुत्र है क्योंकि परबत सिंह के कोई पुत्र संतान नहीं थी इस कारण वादीगण रेस्पोडेंट ने अपीलांट प्रतिवादी को परबत सिंह की पगडी बंधवायी थी व दत्तक पुत्र घोषित किया था तथा इंतकाल वर्ष 2008 में खुलने के बाद दावा करने तक कोई आपत्ति नहीं की । भूमि की कीमत बढ़ जाने से दावा पेश किया जो खारिज होने योग्य था जिसे खारिज कर डिक्री करते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2018 अपास्त किया जावें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर आर टी 2015(1) पेज 579 नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

अधीनस्थ न्यायालय ने गोद पुत्र के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है । अपील में भी ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है, जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विपरीत हो ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा